बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: **संकल्प** ::

पटना–15, दिनांक.....

श्री वीरेन्द्र कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–73/2024 (354/2019), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मरौना, सुपौल (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध इन्दिरा आवास योजना में अनियमितता बरतने, विभागीय निदेश का उल्लंघन, कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के विरूद्ध कार्य करने आदि आरोपों से संबंधित आरोप पत्र जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक–2292 दिनांक 28.03.2023 द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।

उक्त प्रतिवेदित आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर पुनर्गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक–10007 दिनांक 29.05.2023 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्री कुमार का स्पष्टीकरण (दिनांक 15.09.2023) प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा अपने उपर लगाये गये आरोपों से इन्कार किया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनसे प्राप्त लिखित बचाव वयान की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत मामले की गम्भीरता को देखते हुए आरोपों की वृहद जाँच हेतु संकल्प ज्ञापांक–20322 दिनांक 01.11.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा के ज्ञापांक–4409 दिनांक 02.07.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए पत्रांक–12846 दिनांक 14.07.2025 द्वारा श्री कुमार से लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन की माँग की गयी। इस बीच श्री कुमार दिनांक 31.11.2025 को वार्ध्यक्य सेवानिवृत्त हो गये, जिस कारण श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश ज्ञापांक–23856 दिनांक 23.12.2025 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम–43 (बी०) के तहत स्वतः सम्परिवर्तित करने का आदेश निर्गत किया गया। स्मारोपरांत श्री कुमार का लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन दिनांक 13.01.2026 प्राप्त हुआ, जिसमें श्री कुमार द्वारा इन्दिरा आवास योजना के लाभुकों को भुगतान किया जाना नियमानुकूल एवं विभागीय मार्गदर्शिका के अनुरूप बताया गया है।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार से प्राप्त लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि :–

(i) विभागीय कार्यवाही की सुनवाई में उपस्थित गवाह श्री सूर्य नारायण यादव, श्रीमती मुसहरनियाँ देवी, श्री कालीन्दर राय एवं श्रीमती पूनम देवी द्वारा दिये गये बचान से यह प्रमाणित होता है कि वस्तुतः इंदिरा आवास योजना अभिलेख के अनुसार श्री सूर्य नारायण यादव तथा श्रीमती मुसहरनियाँ देवी के नाम से इंदिरा आवास योजना की स्वीकृति तथा चेक निर्गत किया गया, परन्तु उन्हें राशि का भुगतान नहीं हुआ। प्रखंड कार्यालय के स्तर पर जालसाजी एवं धोखाधड़ी करते हुए मिलते जुलते चेहरे के अन्य व्यक्ति का फोटोग्राफ चस्पा कर राशि की फर्जी निकासी की गयी, जिसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित अन्य कर्मी दोषी है।

(ii) थाना कांड सं0–86/2008 न्यायालय में सांस्थित आपराधिक मामला से संबंधित है। संचालन पदाधिकारी द्वारा सुनवाई में उपस्थापित कागजातों, साक्ष्यों तथा गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपित पदाधिकारी पर सरकारी राशि के गैर–कानूनी निकासों का Offence बनता है, का मंतव्य दिया गया है।

(iii) यद्यपि श्री सूर्य नारायण यादव तथा श्रीमती मुसहरनियाँ देवी के नाम से स्वीकृत इंदिरा आवास योजना की स्वीकृति की राशि के गबन की कार्रवाई में तत्कालीन महिला प्रसार पदाधिकारी, मरौना श्रीमती वीणा कुमारी की पूरी भूमिका थी। परन्तु तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मरौना, तत्कालीन महिला प्रसार पदाधिकारी, वीणा कुमारी तथा अन्य कर्मियों की पूरी सहभागिता एवं साजिश करने की बात को प्रमाणित पाया गया है। संदर्भ में उपस्थापित कागजातों, साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर यह पाया गया है कि श्री सूर्य नारायण यादव तथा श्रीमती मुसहरनियाँ देवी के नाम से स्वीकृत इंदिरा आवास योजना की राशि के भुगतान में विभागीय नियमों की अनदेखी करते हुए साजिश के तहत मिलते जुलते चेहरे के अन्य व्यक्ति का फोटोग्राफ चेक भुगतान से संबंधित कागजातों पर चस्पा कर राशि की फर्जी निकासी की गयी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार के लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली–1950 के नियम–43 (बी०) के संगत प्रावधानों के तहत "पेंशन से पाँच (05) प्रतिशत की राशि कटौती दो (02) वर्षो तक करने" का दंड विनिश्चित किया गया।

उक्त विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक–4005 दिनांक 26.02.2026 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श/सहमति की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 28.04.2026 को आहूत पूर्ण पीठ की बैठक में श्री कुमार के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव (यथा पेंशन से 05 (पाँच) प्रतिशत राशि की कटौती 02 (दो) वर्षो तक करने) पर सहमति व्यक्त किया गया। उक्त सहमति/मंतव्य बिहार लोक सेवा के आयोग के पत्रांक–427 दिनांक 12.05.2026 द्वारा इस विभाग को उपलब्ध कराया गया।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री वीरेन्द्र कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–73/2024 (354/2019), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मरौना, सुपौल (सम्प्रति सेवानिवृत्त) को संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 बी० के प्रावधानों के तहत **पेंशन से 05 (पाँच) प्रतिशत राशि की कटौती 02 (दो) वर्षो तक करने** का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(उमेश प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव।

निबंधित
स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–08/आरोप–01–136/2014,सा०प्र०, 8853 **/पटना, दिनांक** 19.5.26

प्रतिलिपि– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/जिला पदाधिकारी, सुपौल/उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/श्री वीरेन्द्र कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–73/2024 (354/2019), (सम्प्रति सेवानिवृत्त), पिता– श्री सूर बिहारी मंडल, मोहल्ला– हृदयगंज, पोस्ट– कटिहार कोर्ट, जिला– कटिहार/ उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14 एवं 29/आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाईट (मुख्य शीर्ष–09) पर अपलोड करने हेतु) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.5.26

सरकार के अवर सचिव।